



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवाद निवारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय) बालोतरा
(E-mail id—dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)



क्रमांक:— 57/2024

दिनांक:— 22/04/2024

कार्यालय—आदेश

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1275/जे दिनांक 09.09.2024 और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक DS-II/LSUM/2024/20443-478 की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा द्वारा आदेश क्रमांक 98 दिनांक 27.11.2024 को जिला स्तरीय एवं तालुका स्तरीय Legal Services Unit: Manonyay इकाई का गठन किया गया था।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाड़मेर न्यायक्षेत्र के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा से पृथक् हो जाने एवं अधिकार-मित्र की नई भर्ती के पश्चात् जिला स्तरीय एवं तालुका स्तरीय इकाई का पुर्नगठन किया जाता हैं।

उक्त इकाई के सदस्य विवरण निम्नानुसार हैं—

जिला स्तरीय इकाई:—

क्रं. सं.	पद	पदाधिकारी	
01	सचिव, (जिविसेप्रा, बालोतरा)	श्री सिद्धार्थ दीप	
02	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी	श्री मांगी लाल गौड़	
03	डिप्टी एलएडीसीएस	श्रीमती नीरज चौधरी	
04	पैनल अधिवक्ता	श्री डुंगर सिंह नामा	
		श्री प्रेम सिंह	
		श्री भगवंत सिंह राठौड़	
		श्री करण सिंह	
		श्री देवी सिंह	
		श्री रमेश कच्छवाहा	
05	अधिकार-मित्र	पूर्व	वर्तमान
		श्री स्वरूप सिंह	श्री मोहम्मद फिरोज
		श्री मानाराम	श्री पंकज डाबी
		श्री खेता खां	श्री संजय
		श्री ओम प्रकाश	श्री भरत
		श्री गौतम चंद	श्री पृथ्वीराज गर्ग
		श्री आसु राम	श्री नारायणराम



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा

(वैकल्पिक विवाद निवारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय) बालोतरा
(E-mail id-dlsa3balotra@gmail.com, Contact No. 02988-294119)



	श्री सुरेश कुमार	श्री मोहनी देवी
	श्री आसिन खा	सुश्री पेंपों
	श्रीमती डिम्पल	श्री वीरमाराम
	श्री दिनेश कुमार	श्री दीपाराम

तालुका स्तर इकाई:-

क्रं. स.	तालुका	पद	पदाधिकारी	
1.	सिवाना	पैनल अधिवक्ता	श्री कैलाश पुरी	
		अधिकार-मित्र	पूर्व	वर्तमान
			श्री भोमराम	श्री भोमराम
			श्री राजुराम	श्री नारायण राम

उक्त इकाई के सदस्यों द्वारा समय-समय पर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार, NALSA (Legal Services to Person with mental illness and Person with intellectual disabilities) Scheme, 2024 एवं बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता तक पहुंच का उचित कार्यान्वयन किया जाएगा।

—सही—

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा।

क्रमांक:- 1808-1814

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 24/08/24

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. समस्त न्यायालय, न्यायक्षेत्र जिला बालोतरा।
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, सिवाना।
4. पुलिस अधीक्षक, बालोतरा, जिला बालोतरा, समस्त पुलिस थानों में प्रेषित करने बाबत।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. इकाई सदस्य
7. रक्षित पत्रावली।

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायालय)
बालोतरा।